

निर्णय  
11.9.2024

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

2024/583

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
चन्द्रभान आदि बनाम ओमप्रकाश आदि  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 430 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
30.08.2024	वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 09.09.2024 को पेश हो।	
06.9.2024	वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र पिछल पेभी पेश करने पर पत्रावली को पेभी में लिफा गणा शुक्रवार 09.09.2024 को पेश किया गया। प्रतिवादी द्वारा पेश की गई प्रार्थना पत्र 09.09.2024 को पेश किया गया। प्रतिवादी द्वारा पेश की गई प्रार्थना पत्र 09.09.2024 को पेश किया गया।	शुक्रवार
9.9.2024	शुक्रवार 09.09.2024 को पेश किया गया। प्रतिवादी द्वारा पेश की गई प्रार्थना पत्र 09.09.2024 को पेश किया गया। प्रतिवादी द्वारा पेश की गई प्रार्थना पत्र 09.09.2024 को पेश किया गया।	
11.9.2024	शुक्रवार 09.09.2024 को पेश किया गया। प्रतिवादी द्वारा पेश की गई प्रार्थना पत्र 09.09.2024 को पेश किया गया। प्रतिवादी द्वारा पेश की गई प्रार्थना पत्र 09.09.2024 को पेश किया गया।	

डिफ़्टी बमुकदमें ईब्तदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :-430/2024 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

1. चन्द्रभान पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ,राज0।
2. जगदीश पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ,राज0।
3. रमेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ राज0।

—वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ,राज0।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लू जिला हनुमानगढ,राज0।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री अनिल सिहाग वकील—वादीगण

श्री श्रवण कुमार वर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक— 11.09.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी संख्या 1 चन्द्रभान को रोही मौजा पोहड़का बारानी के खाता संख्या 48/38 के पत्थर नम्बर 78/3(478) के किला नम्बर 15, 16, 25 की 0.7590 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 78/11(477) के किला नम्बर 21 की 0.2530 हैक्टेयर कुल 1.0120 हैक्टेयर बारानी, चक नम्बर 5 पी.आर.के.एम. के खाता संख्या 11/90 के पत्थर नम्बर 135/55(19) के किला नम्बर 22/2, 23/2, 24/2 की 0.6840 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि का,
2. वादी संख्या 2 जगदीश को तहसील पल्लू की रोही मौजा पोहड़का बारानी के खाता संख्या 43/12 के पत्थर नम्बर 78/22(576) के किला नम्बर 1/1, 2/1, 9, 10/1, 11/1, 12/2, 15/2, 16/2, 19/2, 20/1, 21/3, 22/4, 25/4 व पत्थर नम्बर 78/30(577) के किला नम्बर 11/2, 20, 21/1 की कुल 2.5250 हैक्टेयर बारानी भूमि का,
3. वादी संख्या 3 रमेश कुमार को चक नम्बर 5 पी.आर.के.एम. के खाता संख्या 10/12 के पत्थर नम्बर 135/56(36) के किला नम्बर 3-8-13 की 0.7590 हैक्टेयर कमाण्ड, रोही मौजा पोहड़का बारानी के खाता संख्या 48/38 के पत्थर नम्बर 78/3(478) के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 14, 17 ता 24 की कुल 4.0480 हैक्टेयर बारानी भूमि का,


सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर



4. प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश को रोही मौजा पोहड़का बारानी के खाता संख्या 48/38 के पत्थर नम्बर 78/11(477) के किला नम्बर 22 ता 25 की 1.0120 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 78/19(476) के किला नम्बर 20 ता 25 की 1.5180 हैक्टेयर की कुल 2.5530 हैक्टेयर बारानी भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11-09-2024 ...को जारी की गई।

  
(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
सहायक कलक्टर अतिरिक्त  
सहायक कलक्टर अतिरिक्त  
राजसम